

प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ीसादही

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत SDO इंगला मुकाम इंगला  
किसत दास्त बनाम प्रेमदास्त वर्मा  
मुकदमा वा.प.नं. नं. 881/2025 सन् \_\_\_\_\_

संख्या	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/26	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... उपस्थित..... अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 10/3/26 को पेश हो।</p>	
20/3	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित एवं पत्रावली अन्तर्गत अद्विष्टा 7 नियम 11 जा. शी. की व्यवस्था सुना गया। पत्रावली वास्तु में दिनांक 24.3.2026 को पेश हो।</p>	
20/3	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित एवं पत्रावली अन्तर्गत अद्विष्टा 7 नियम 11 जा. शी. के अद्विष्टा में नियत होने से अद्विष्टा इस प्रकार से ही प्रतिवाद्योगण की और से श्री महेन्द्र सिंह धूण्डवर एडवोकेट द्वारा पत्रावली वास्तु में पत्र को खारिज किया जाने हेतु अन्तर्गत अद्विष्टा 7 नियम 11 जा. शी. का पेश कर विवेक किया गया कि मौजूद वाद पत्र में वादी द्वारा नाम सारंगपुरा पखार मण्डल नौगावा तहसील इंगला के खसरा संख्या 65 में दर्ज कृषि आराजीयार किरा 2 कुल संख्या 2-2010 डेकटेयर एवं खसरा संख्या</p>	

10/03/26



24/03/26  
अधिकारी एवं  
मजिस्ट्रेट, इंगला

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>64 में दर्ज कृषि अप्रोजेक्ट नम्बर 647/3552 रकबा 0.5060 हेक्टेयर भूमि में खलिदारी घोषणा एवं स्वामी निवेदाता के अन्तर्गत आने का पेश किया है जो निम्न कारणों से निरस्त होने योग्य है।</p> <p>(A) यह कि वादी किसान दास ज्ञान दास द्वारा स्वयं की तुलसीदास का गौद पूजा अंतिम करते हुए इसी न्यायालय में दिनांक 27/8/2021 को इसी अप्रोजेक्ट की खलिदारी घोषणा के अन्तर्गत हुए इन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद पेश किया गया था जिसमें वादी स्वयं द्वारा दिनांक 7-7-2023 को वाद प्रकरण संख्या 821/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 47/2024 को पक्षकारान के मध्य संश्लेषित किया जाने से इन दोनों प्रकरणों को वाद द्वारा मिश्री करके का प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वाद एवं प्रार्थना पत्र को मिश्री करने के कारण होने प्रकरणों को पत्रावलियों को मिश्री को अन्तर्गत दो जा चुकी है तथा शीघ्र प्रकरणों में कार्यवाही को बंद करने का उचित अदेश पारित किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अर्थात् 23 नियम 1 (1) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें नया मा सुनवाई प्रवृत्ति को स्वीकृति नहीं चाही गई थी, जिसने वादी किसानदास द्वारा प्रस्तुत यह वाद एवं दावा 11 नियम 11 के तहत शीघ्र से अंतिम होने से अदेश 7 नियम 11 जा.सो. के तहत वाद निरस्त योग्य है।</p> <p>(B) वादी किसानदास ने स्वयं को तुलसीदास का गौद पूजा होने का वाद पत्र में अतिरिक्त किया है जबकि वास्तव में किसानदास तुलसीदास का गौद पूजा नहीं होकर दासदास का ही पूजा है जबकि वादी निवेद्य न्यायालय से स्वयं को तुलसीदास का दत्तक पुत्र होने को घोषणात्मक सिद्धी प्राप्त नहीं करता है वह एक राजद्वेष न्यायालय से घोषणात्मक अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद एवं इस राजद्वेष न्यायालय के अधिकारी से नहीं होकर निवेद्य न्यायालय का अधिकारी होने के आधार पर अदेश 7 नियम 11 सी.जे.सी. के तहत पुनः दर्ज वाद एवं निरस्त योग्य है।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>

**FORM NO. III**  
**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

दालत \_\_\_\_\_ डाय. डंगला मुकाम \_\_\_\_\_ डंगला  
 शिक्षणदास बनाम \_\_\_\_\_ जेमदास  
 मुकद्दमा नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

<p>ख म</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>(A) कि स्वयं तुलसीदास जी, मोदीदास के दत्तक पुत्र होने से गोदनामा से उक्त सन्धि तुलसीदास को प्राप्त होकर तुलसीदास जी की स्व. भूमि को प्रतीति में अर्पित है जिसे तुलसीदास जी ने जेमदास को दिनांक 6.8.2020 को अर्पित पंजीकृत कर प्रमाणित अंतरित की है उक्त वस्तीमलनामा पंजीकृत है जिसकी रक्षाम न्यायालय से निरस्त करके बिना मौजूद वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अदेश 7 नियम 11 जा.सो. के तहत निरस्त होने योग्य है। इसीलिए प्रार्थना पत्र अतः कारणों से (अतिवादी) का स्वीकार कर वादी किसानदास द्वारा नवीन प्रस्तुत किया गया वाद एवं संख्या 83/2025 को अदेश 7 नियम 11 जा.सो. के तहत रद्द कर दिया जाने का अदेश पारित किया जावे। अतिवादी को और से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अदेश 7 नियम 11 जा.सो. के तहत पत्र में वादी को और से ही निरस्त हुमात प्रस्ताव द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है:-</p> <p>(B) वादी द्वारा इस न्यायालय में पूर्व में खलिदारी की घोषणा व स्वामी निवेदाता का वाद प्रस्तुत करना तथा स्वयंका अदेश प्राप्त करना स्वीकार है परंतु वादी द्वारा वाद को निरस्त मिश्री करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर को भी अतिरिक्त पत्र प्रस्तुत कर पेश नहीं किया गया है वादी को जगद फर्जी वाकि किसानदासका अन्तर्गत कर वाद को मिश्री किया गया जिस पर वादी ने न्यायालय</p>	

उपस्थित अधिकारी एवं  
 उपस्थित मजिस्ट्रेट, डंगला

उपस्थित अधिकारी एवं  
 उपस्थित मजिस्ट्रेट, डंगला

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर अहकाम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

FORM NO. III फर्द अहकाम (नियम 26)

लत 300 इंगला मुकाम इंगला किरानदारस वनाम जैमदारस महमा वादपत्र नं. 83/2025 सन

से नकल प्राप्त कर जिहा सुल्लिम अदीस फिहो इंगद केतमस कामचिहे हेर भविदग मरुहुर किया गया। परिवादी प्रमदस ने सडयन्त्र कर अपठे पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर इंगला सुल्लवाने के लिए फर्मे वौर पर न्यायालय में वाद विज्ञो करने का भविदग कर न्यायालय से स्थगन समाप्त करा जमाबंदी में अपने नाम पर इंगला सुल्लवाया है उसे जॉय का सिधम है इसलिये परिवादी द्वारा मरुहुर उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. का पल्ले योग्य नही होकर निरुहुर योग्य है।

(B) वधे झम वाद पत्र पूर्व में खलिदारी की घोषणा की लेकर प्ररुहुर किया है वधे ने गोदपुत्र की घोषणा नहे पल्ले गडि है वधे रिश्तारी में परिवादी का अट कयत कि वाद रिक्विट न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है स्वीकार योग्य नही है। राजब भूमि की लेकर खलिदारी की वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजब न्यायालय को है जिस कारण से प्ररुहुर भविदग पत्र खारीज योग्य है।

(C) अटप्रह आपति तुखरीदारस की वीना रबीकार नही है समारि पैतुक सुल्लेनी की आरुपीयाल है दिनांक 6/8/2020 को परिवादी प्रमदस के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा जिसे वादी द्वारा शुभम एवं भेकू वीषेर करने की सखपला गाले है और वट सखपला राजब न्यायालय की दे सफर है जिस कारण से अट उर्बना पत्र परिवादी का खारीज योग्य है। परिवादीगण की और से मरुहुर उट उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. का पल्ले वकील वादी द्वारा दिये जाने के परपल पत्रावली को बल्ले उर्बना पत्र में निम्न की गडे। वकील उमम पक्ष की बल्ले को सुना गया। वकील वादी ने बल्ले में कयन किया गया कि वादी के पूर्व में फर्जी इखलाशर कर पूर्व में प्ररुहुर उट वाद पत्र को विज्ञो किया गया है इस सखपत्र में कफरी कार्यचिहे हेर परिवाद उर्बना पत्र जिहा सुल्लिम अदीस फिहो इंगद की पत्र किया गया, पररु सुल्लिम थाना में एक भाडी भर: दर्ज नही वीना बरामा गया है। वया वादी के इखलाशर नही वीना बरामा गया है। वकील परिवादी

उपरान्त अधिकारी एवं उपरान्त मजिस्ट्रेट, इंगला

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

ने बल्ले ने कयन किया गया कि वादी स्वयं कियन दास के इखलाशर वाद प्रकरण को विज्ञो करने के उर्बना पत्र पर है वया उख प्ररुबना पत्र पर पहपान के रूप में वकील वादी के इखलाशर है जो वादी किरानदारस के वी है। इसलिये वादी का वाद पत्र को उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. के बल्ले खारीज किया जाने का जारी पारि किया जाये। वकील उमम पक्ष की बल्ले को सुना जाने के परपल पत्रावली का भविदग किया गया। वकील वादी द्वारा पूर्व में प्ररुहुर वाद पत्र मकारण को विज्ञो करने के उर्बना पत्र पर फर्जी इखलाशर वादी किरानदारस के करने के सखपत्र में जॉय बल्ले की गडे आपति की सखपत्र में सी न्याय इखलाशर पत्र गधे किये गये है। जकलि वकील उर्बना पत्र ने पूर्व में प्ररुहुर उट वाद मकरण के वाद पत्र के उर्बना पत्र 8/1/2025 के विज्ञो के भदिश दिनांक 7-7-2023 एवं वाद पत्र की मकारण प्ररियो की वया प्ररियो प्ररुहुर एवं वाद पत्र की मकारण प्ररियो को वया प्ररियो प्ररुहुर वादी द्वारा इसी आरुपीयाल को लेकर इन्ही पत्रावली के विरुद पूर्व में वाद मत्र पेश करना वया सुन। वाद पत्र को इसी आरुपीयाल को लेकर इन्ही पत्रावली विरुद पेश वीना सघे वीना पापा गया है। इसलिये वादी द्वारा सुन. मरुहुर किये गये वाद पत्र को उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. के बल्ले खारीज किया जाना न्यायसंगत बकर उचित है। भर: परिवादी का उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. का उर्बना पत्र किया जाने का भदिश दिया जाया है। तथा वादी किरानदारस द्वारा सुन. मरुहुर किये गये वाद पत्र मकरण संख्या 8/1/2025 को उर्बना पत्र भन्तगरे भदिश 7 नियम 11 जा. सी. के उर्बना पत्र के बल्ले खारीज किया जाने का भदिश दिया जाया है। निर्णम उखलाशर आकर सुनाया गया। पत्रावली के सख सुना देकर उर्बना पत्र खारीज है।

उपरान्त अधिकारी एवं उपरान्त मजिस्ट्रेट, इंगला 24/10/26